

4-8-21

वकील उभयपक्ष उपाध्यक्ष। पत्रावली का  
 अपलोड किया गया। प्राथमिकी ने यह मुन्तकिली  
 पार्कना पत्र श्री विनोद शिना तत्कालीन उपरवण्ड  
 अधिकारी काता के विरुद्ध पेश की है। धुंकि  
 तत्कालीन उपरवण्ड अधिकारी काता का  
 स्थानान्तरण अन्यत्र हो चुका है, इसी विचार  
 में प्राथमिकी का यह मुन्तकिली पार्कना पत्र  
 प्रभावहीन (INAPPLICABLE) हो जाने के कारण  
 इसी स्तर पर क्लोज़ किया जाता है। पत्रावली  
 फंसल शुमार का इतमील शामिल है।

जिला कमिश्नर  
 भारतपुर जिला

PM/19-20/3778